अपील सूचना अधिकार संख्या 13/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर

31–07–2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.12.2015 के द्वारा 4 बिन्दुओ की सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से चाही थी जो उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1)(2) के तहत उन पर 25000रूपये जुर्माना लगाया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 11.12.2015 के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

मतदाता पर्ची वितरण न करने के सम्बंध मे सूचना।

1. श्रीमान् एच.एस.गोयल, विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प्रार्थी को प्रेषित 4294 दिनांक 06.11.2016 आपके कार्यालय में पहुचने की दिनांक व आरआर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मचारी व अधिकारी का नाम व पद की सूचना।
3. पत्र प्राप्ति से सूचना उपलब्ध करवाने तक आप द्वारा जो जो कार्यवाही की गई है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. श्री मलकियत सिंह की जांच रिपोर्ट 411 दिनांक 25.04.2014 पर आप द्वारा उसके बीएलओ के विरूद्ध जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 32 व 1951 की धारा 136 व भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के चुनाव अधिनियम व उच्चाधिकारियों के आदेशो के विरूद्ध कार्यवाही जिस अधिनियम के तहत नही की गई है। उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रींगानगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या 127 दिनांक 29.01.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा बिन्दुवार चाही गई सूचना उनके कार्यालय के पत्र सं0 59 दिनांक 10.01.16 के द्वारा पंजिकृत डाक द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र कमांक 5485 दिनांक 11.12.16 के द्वारा चाही गई 4 बिन्दुओ की सूचना के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रींगानगर ने अपने पत्र सं0 59 दिनांक 11.01.2016 में उक्त 4 बिन्दुओ की सूचना के साथ अन्य तीन बिन्दु और अंकित करते हुए कुल 7 बिन्दुओ की सूचना के संबंध में निम्नानुसार उत्तर दिया गया हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

आप द्वारा चाही गई सूचना के संबध में लेख है कि–

बिन्दु संख्या 1 से 7 के तहत चाही गई सूचना के संबध मे आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉग बुक, सविंदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखां का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है। यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान् जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस के भीतर अपील कर सकते है।

अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में कुल 4 बिन्दुओ की सूचना चाही गई है और इन्ही चार बिन्दुओ की सूचना के संबंध में अपील प्रस्तुत की गई है जबकि लोक सूचना अधिकारी ने उक्त चार बिन्दुओ की सूचना के अलावा अन्य तीन ओर बिन्दु अंकित कर कुल 7 बिन्दुओ की सूचना के संबंध में प्रत्युतर भिजवाया गया है।

अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त चार बिन्दुओ की सूचना कोई निश्चित सूचना नही है बल्कि प्रश्नात्मक रूप में सूचना चाही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रींगानगर द्वारा 4 बिन्दुओ की सूचना के संबंध में दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रींगानगर को आदेश दिया जाता है कि उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का यदि अपीलार्थी अवलोकन कर उसमें से कोई सूचना लेना चाहे तो उसे उपलब्ध अभिलेख का नियमानुसार अवलोकन करवा दिया जावे और उपलब्ध अभिलेख में से अपीलार्थी जो सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रींगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1571-72
18-8-17

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर